


# ਯੌਮੇ ਆਸ਼ੁਰਾ ਔਰ ਮਾਹੇ ਮੁਹਰ੍ਰਮ ਸੇ ਹਮਾਰਾ ਤਅਲੁਕ

ਸੰਕਲਨ : ਮੁਹੰਮਦ ਸਫ਼ਏ - ਮੋ. ੦੮੮੮੭੨੩੮੬੪੮



**ਓਲਾਮਿਕ ਓਨਫ਼ੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੇਂਟਰ**

ਹੋਟਲ ਨੁਰਾਨੀ ਪਾਸੇ, ਡਾਂਡਾ ਭਜਰ, ਲੁਯ - ਕਚ.

Mo. : 84017 86172 - [www.iickutch.blogspot.in](http://www.iickutch.blogspot.in)

# यौमे आशुरा और माहे मुहर्रम से हमारा तअल्लुक

संकलन : मुहम्मद सईद - मो. ०८८८७२३८५४८

**सब तअरीक़े अल्लाह के लिये हैं जो सारे जहानों का पालनहार है,  
बेशुमार दुइए सलाम हो मोहम्मद (स.अ.व.) पर**

अल्लाह तआला का ईशाद है कि “साल के बारह महीनों में चार महीने अदब के हैं, ईन्सानी जिन्दगी के बन्दोबस्त में सिधा-सख्या दीन सिई यही है, अदब के महीनों में जुल्म न होने दो कि ईसमें भुट तुम्हारा गुकसान है. (सुरह तोबा, आयत ३५)

मुहर्रम ईस्लामी तक्वीम का पहला महीना है और यह हराम व मुहतरम महीनों में शामिल है. जो चार है. (१) मुहर्रम (२) रजब (३) ज़ुअदा (४) जिदहज्जा.

ईस्लाम में माहे मुहर्रम की बडी अहमियत है, उसकी वजह अक तो यह है कि ईससे कमरी साल का आगाज होता है और दूसरी वजह यह है कि ईसी महीने (मुहर्रम) की दसवीं तारीख यानि “आशूरा” के दिन मूसा (अ.स.) और उनकी कोम को क़िरओन से निजात मिली.

**“यौमें आशूरा” के रोजे की इत्तिलत :**

(१) ईब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (स.अ.व.) मदीना तशरीफ़ लाये तो आपने देखा कि यहूदी “आशूरा” के दिन रोज़ा रખते हैं. आप (स.अ.व.) ने जब यहूद से ईसकी वजह मालूम की तो उन्होने बतलाया कि यह अक अच्छा दिन है. ईसी दिन अल्लाह तआला ने नबी ईस्राईलको क़िरओन से निजात दिलाई थी ईसलिये मूसा (अ.स.) ने ईस दिन का रोज़ा रखा था, आप (स.अ.व.) ने इरमाया मूसा (अ.स.) के हम तुम से ज्यादा मुस्तहिक़ हैं, चुनांचे आप (स.अ.व.) ने ईस दिन रोज़ा रखा और सहबा (रज़ि.) को भी ईसका हुक़म दिया. (बुखारी २००४, मुस्लिम १८५५, अबुदाउद २४२१, ईब्ने माजा १७३४)

(२) आईशा (रज़ि.) ने बयान किया कि “आशूरा” के दिन जमाना

जाहिलियत में कु़रैश रोजा रखा करते थे और रसूल (स.अ.प.) भी रोजा रખते थे, फिर आप (स.अ.प.) जब मदीना तशरीफ़ लाये तो आप (स.अ.प.) ने यहां भी रोजा रखा और सहाबा (रज़ि.) को भी रोजा रખने का हुकम दिया लेकिन रमज़ान (के रोजे)की इरज़यत के बाद आप (स.अ.प.) ने उसको छोड दिया और इरमाया कि अब जिसका ज़ (दिल) चाहे एंस दिन का रोजा रખे और जिसका ज़ चाहे रोजा न रખे. (बुखारी २००२, मुस्लिम १८४१, अबुदाउद २४१८)

एंस हदीस से मालूम हुआ कि शुद्ध इस्लाम में यह “आशूरा” का रोजा इर्ज़ था, जब रमज़ान के रोजे इर्ज़ हुये तो एंसकी इरज़यत जाती रही.

(३) एब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (स.अ.प.) ने इरमाया “आशूरा” (दस मुहर्रम) के दिन रोजा रખो और उसमें यहूद की मुजालिफ़त के लिये अेक दिन पहले या अेक दिन बाद का रोजा और मिला लो. (मुसनद अहमद)

(४) अबु हु़रैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (स.अ.प.) ने इरमाया सब रोजे में अइज़ल रमज़ान के रोजे हैं उसके बाद मुहर्रम के रोजे हैं जो अल्लाह का महीना है. और बाद नमाजे इर्ज़ के सब नमाज़ों में अइज़ल तहज़ुद की नमाज़ है. (मुस्लिम २०३८, तिर्मीज ५३७)

(५) अबु कतादा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (स.अ.प.) ने इरमाया में समज़ता हूं कि अल्लाह तआला दस मुहर्रम (आशूरा) के रोजे की पज़ह से गुज़रे अेक साल के गुनाह माफ़ कर देगा. (एब्ने माजा १७३८)

एन अहादीस से एंस दिन के रोजे की अहमियत और इज़लत का एल्म हुआ. एंस दिन का रोजा रખने से गुज़रे अेक साल के सगीरा गुनाह (माफ़ हो जाते हैं, कबीरा गुनाह सिई सख़ी तौबा से माफ़ होते हैं.)

### **बिदअत और उसकी बुराए :**

(१) जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से मरपी हदीस में है कि यकीनन सबसे अरछी बात अल्लाह की किताब है, सबसे अरछा तरीका मुहम्मद (स.अ.प.) का तरीका है, सबसे बदतरीन काम (दीन में) नये एजाद कर्दा (बिदआत) हैं और हर बिदअत गुमराही है, (मुस्लिम १४७१, एब्नेमाजा ०४५) और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है. (नसाए १५८१)

(२) आइशा (रज़ि.) से मरपी है कि नबी (स.अ.प.) ने इरमाया “जिसने हमारे एंस दीन में कोए नए बात एजाद की, वह मरदूद है.” (बुखारी २५८७, मुस्लिम ३३१५)

(३) आइशा (रज़ि.) से मरपी अेक हदीस में है कि नबी (स.अ.प.) ने इरमाया “जिसने दीन में अेसा काम किया जिस पर हमारा हुकम नहीं, वह मरदूद है.” (मुस्लिम ३३१७)

## ईशादर नारी तआला हूँ :

- (१) आऑ तुम्हारे लरये तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दरया, (माईदा ०३)
- (२) अै रसुल (स.अ.व.) तुम पर नै कुछ तुम्हारे रन की तरफ से उतारा गया है, उसे लीगों तक पहुंया दी, अगर तुमने अैसा न किया तो पैगम्बरी का हक अदा नहीं किया. (माईदा ५७)
- (३) कभी नहीं हो सकता कि पैगम्बर कुछ छिपाये यानि पैगामे हक पहुंयाने में भयानत करे. (आले ईमरान १५१)
- (४) अै ईमान पालों ! अल्लाह का हुकम मानो और उसके रसुल की ईताअत करो, और अपने आमाल को (ईनकी नाइरमानी करके) नर्बाई न करो. (मुहम्मद ३३)

## नबी (स.अ.व.) का ईशाई है :

- (१) तुम्हारे दरमरान दी चीजें छोडे न रहा हूँ “क़िताबुल्लाहि व सुन्नति” अैक अल्लाह की क़िताब और दूसरी मेरी सुन्नत, जब तक ईन दीनों को थामे रहोगे, हरगिज गुमराह न होगे. (मोत्ता मालिक २२५१)
- (२) सब से बेहतर मेरे जमाने के लोग हैं, इर वो लोग नै उसके बाद होंगे और इर वह लोग नै उनके बाद होंगे. (रावी अब्दुल्लाह (रज़ि.) बुभारी २५५२)
- (३) यह हदीस ईन्ही लइजों में ईमरान बिन हसीन (रज़ि.) से ली मरपी है. (तिर्माज़ि २०२ॢ)

ईन इरआनी आयत और अहादीसे रसुल (स.अ.व.) से पता चलता कि

- (१) दीने ईस्लाम नबी (स.अ.व.) की जिन्दगी में मुकम्मल हो चुका था.
- (२) आप (स.अ.व.) पर नै कुछ अल्लाह ने नाजिल किया, आप (स.अ.व.) लीगों तक पहुंया गये बरना कोई कमी या बेशी किये.
- (३) हमारी कामयाबी के लिये अल्लाह की क़िताब (क़ुरआन) और नबी (स.अ.व.) की सुन्नत (तरीके) को अमल में लाना जरूरी है.
- (४) क़िताब व सुन्नत को छोड़ेंगे तो गुमराह हो नर्येंगे.
- (५) शुर् के तीन जमानों के लोग (हम में के) सब से बेहतर लोग थे.
- (५) मोमिनो को अल्लाह की और उसके रसुल की ईताअत करना चाहिये.
- (७) अल्लाह की या उसके रसुल की बात (हुकम) के मुकाबले किसी और की बात मानना, अपने आमाल को नर्बाई करना है.

## मुहतरम मुसलमानों ! हम में कितने हैं ? जिन्हें :

- (१) सय्यदु शुहदा हज़रते “हमज” (रज़ि.) के कातिल का नाम और तारीजे शहादत का ईल्म है.

(२) दूसरे जलीझा हजरते “उमर” (र.क्रि.) के कातिल का नाम और तारीजे शहादत का एल्म है.

(३) तीसरे जलीझा हजरते “उस्मान” (र.क्रि.) के कातिल का नाम और तारीजे शहादत का एल्म है.

(४) चौथे जलीझा हजरते “अली” (र.क्रि.) के कातिल का नाम और तारीजे शहादत का एल्म है.

(५) हजरते “हसन बिन अली” (र.क्रि.) के कातिल का नाम और तारीजे शहादत का एल्म है.

क्या एनकी शहादत, शहादत न थी ? क्या सहाबा एकराम (र.क्रि.) ने किसी का योमे पिलादत या योमे पझात या योमे शहादत मनाया ?

अगर नहीं और यकीनन नहीं तो फिर क्यों ऐसा लगता है ?

गोया मुहर्म्म का महीना जिसकी दसवीं तारीजे को हजरते हुशेन बिन अली (र.क्रि.) की शहादत का पाकिया पेश आया एसी ऐतेबार से इज्जीलत रभता है, हालाकि एस दिन की इज्जीलत की बुनियाद हुशेन (र.क्रि.) की शहादत का पाकिया हरगिज नहीं है, यह सानेहा तो दस मुहर्म्म ५१ हिजरी में पेश आया था, जबकि शरीअत की तकमील अहटे रिसालत में यानि एस पाकिये से ५० साल पहले हो चुकी थी, क्या शरीअत की तकमील के बाद पेश आने वाले किसी भी पाकिये को चाहे वह कितनी ही अहमियत क्यों न रभता हो, कोय शरए हैसियत दी जा सकती है ? या उसकी पजह से किसी भी किरम की एबादत का अहेतेमाम किया जा सकता है ? या कोय दीनी या मऊहबी रस्में अन्जाम दी जा सकती है ? जबकि बात यह है कि

मुहर्म्म मुसलमानों के लिअे जास महीना है, अल्लाह तआला ने एस माह में मुसलमानों पर बहुत से एनआमात किये, एस माह की दस तारीजे को मूसा (अ.स.) और एनकी कौम को फिरओन के जुल्म से निजात मिली, एसी दिन अल्लाह तआलाने फिरओन और उसकी कौम को दरिया में गर्ड किया, अल्लाह की एसी मेहरबानी के शुक्राने में मूसा (अ.स.) और एनकी कौम ने रोजा रभा. एस दिन की इज्जीलत में आप (स.अ.प.) ने रोजा रभा और सहाबा (र.क्रि.) को भी रोजा रभने का हुकम दिया. रमजान की इरजयत से पहले एस दिन का रोजा इर्ज था.

एसी माह में मुसलमानों ने जेबर इत्ह किया और यहुदियों को शिकस्त दी, एसी गजवे जेबर में यहुदियों का सरदार मरहब कत्ल हुआ. एसी माहमें उमर (र.क्रि.) के टोरे जिलाइतमें सअद बिन अजी पक्कास (र.क्रि.) की क्यादतमें इरस (कादसिया और मद्यन) इत्ह हुअे. एसी जंग में इरसी सरदार इस्तम कत्ल हुआ.

गुज्रते पकत के साथ शायद हम यह सब लूल गये और जाने-अन्जाने यह कुछ करने लगे कि जिसका हुकम न अल्लाह ने दिया और न ही अल्लाह के रसूल (स.अ.प.) ने, नबी (स.अ.प.) तो इरमाते है.....

(१) अल्लाह और क्यामत के दिन पर एमान रभने वाली किसी भी ओरत के

लिये किसी भी मध्यत पर तीन दिन से ज्यादा और शौहर की मध्यत पर चार माह दस दिन से ज्यादा मातम (सोग) करना जायज़ नहीं.

(उम्मे हबीबा (रज़ि.) जुमारी १२८०-८१)

(२) अब्दुल्लाह बिन जअर (रज़ि.) से रिवायत है, नबी (स.अ.प.) ने जअर बिन अबितालिब की वफ़ात पर तीन दिनों तक लोगों को आने की इजाज़त दी, तीन दिन के बाद आप (स.अ.प.) ने इरमाया आज के बाद मेरे बाद का सोग न किया जाये. (नसाइ २०८०)

(२) हाकिम इब्ने कसीर रहमहुमुल्लाह उपर हिजरी के हालात तहरीर करते हुये लिखते हैं, “९स साल दस मुहर्रम को जगदाह में मौउजुदौला बिन-बोया (अल्लाह उसका बुरा करे) ने हुकम दिया कि बाजार बन्द कर दिये जायें और औरतों बालों के बने हुये कम्बल पहन कर बाजारों में ९स तरह निकलें कि वोह येहरे नंगे करने वालिया और बाल बिभेरने वालियां हो, अपने येहरो को थप्पड मारें, और हुशैन बिन अली (रज़ि.) पर नोहा करें.

उन्हें ९स काम से रोकना अहले सुन्नत के बस में न था, उसकी वजह यह थी कि शिया हज़रात की अकसरियत थी, उन्हें गल्बा हासिल था और बादशाह के पकट उनके साथ था.” (अल बिदाया वल निहाया)

९स इकतेबास से मालूम हुआ कि ताजिया साज़ी का रिवाज उपर हिजरी में शुरू हुआ और ९सका बानी मौउजुदौला बिन बोया है, ९ससे पहले ९स रस्म का कहीं नामों निशान तक न था.

(३) मशहूर शिया लेखक शाकिर हुशैन नकवी की किताब “मुजाहिदे आज़म P333 में लिखा है, उत्तरी भारत में यह ताजिया साज़ी और माहे मुहर्रम के जुलूस नवाब आसिफुदौला के दौर में लखनऊ से शुरू हुये ११८८ हिजरी के बाद ताजिये जिस तरह भारत में होते हैं, कहीं नहीं होते यहां तक के इरान में भी नहीं, जहां शिया हज़रात अकसरियत में है.

९सी किताब में शिया लेखक ने करबला के रप जैसे वाकिआत की जो बहुत मशहूर हैं और शियों के अलावा कुछ सुन्नी मुतबा की जबाब से भी अदा होते हैं और मरसियों में दई अंगेज तरीके से दुहराये जाते हैं, पुर जोर तरदीह की है. (बहवाला अल्लाह की पुकार-नवम्बर २००८)

(१) डिकह जअरिया की मुल्ला बाकर मजलिसी कि किताब हयातुल कुलूब J2 P542 में लिखा है कि “जिसने किसी कब्र की तजदीह की या कोई शबीह बनाई तो वह इस्लाम से जायिज हो गया.”

९सी डिकह की अक ओर किताब (मन ला यह द रहा अलइकीह J1 P121) में लिखा है “जिसने कोई बिदअत इजाह की और उसकी तरफ़ दावत दी या दीन बनाया वह इस्लाम से जायिज हो गया.”

(बहवाला-आप के मसाइल और उनका हल)

(१) एब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि इरमाया नबी (स.अ.प.) ने अल्लाह तआला बिदअती का कोय अमल कुबूल नहीं करता, यहां तक कि वह अपनी बिदअत छोड दे और तोबा कर ले. (एब्ने माजा-०५०)

यही हदीस अनस एब्ने मालिक (रज़ि.) से तबरानी ने हसन सनद के साथ रिवायत की है, जुभारी र५८७ और मुस्लिम ३३१५ की आइशा (रज़ि.) से मरवी हदीस कि “जिसने हमारे एंस दीन में कोय बात एजाद की, वह मरदूद (रद) है.” एन अहादीस की रोशनी में.....

## जरा सोचिये :

हज़रते हुशैन (रज़ि.) की यादगार के तौर पर जो ताज़िया बनाया जाता है, ताज़िया बना कर जो कुछ उसके साथ किया जाता है.

जो चढावे उस पर चढाये जाते है,

जो मन्नतें उसके साथ मानी जाती है,

जो मरसियें की मजलिस मुनअक़िद की जाती है,

पाकिअे करबला को जो अइसानवी रंग दिया जाता है,

जो नियाज इतिहा का अहतेमाम किया जाता है,

जो (शरअत की) सजीलें लगाए जाती है, जो मातमी जुलूस निकाले जाते है,

जो एंसाले सपाब किया जाता है, जो जीयडा पकाया जिलाया जाता है,

क्या यह सब या एनमें से कोय अेक बात ली अल्लाह के कुर्आन या नबी (स.अ.प.) की हदीस (सुन्नत) से साबित है ? या फिर उन तीन जमानों जिन्हें नबी (स.अ.प.) ने बेहतरीन जमाने कहा है, में हमें एंस तरह का अमल मिलता है ?

हुशैन (रज़ि.) जिन्हें नबी (स.अ.प.) ने जन्नत में नौजवानों का सरदार अतलाया है. (तिर्मीज़ि ४४०१) जो मजलूमाना तौर पर शहीद किये गये और जो आली मर्तबा हैं, क्या उन्हें हमारे एंसाले सपाब की ज़रूरत है ? या हम सपाब हासिल करने के जयादा मुहताज है.

क्या सपाब जाने या मिठाए वगैरह पर नियाज़, इतिहा देने-दिलाने पर ही मिलता है ?

क्या सपाब दूसरे नेक कामों मसलन किसी को नमाज़ की तरफ़ जुलाने या किसी को बुराएयों से बचने की तलकीन करने पर नहीं मिलता ? क्या हम ऐसे काम करके उनका सपाब ली एंसाल करते या बज्शते हैं ? क्या नबी (स.अ.प.) का लाया हुआ (जालिस) दीन हमारी निजात के लिये काफ़ी नहीं है ?

(५) जबकि अल्लाह तआला इरमाता है कि,

(१) अल्लाह भूलने वाला नहीं. (मरयम-५४)

(२) अल्लाह से भूल-चूक नहीं होती. (ताहा-पर)

(3) नबी (स.अ.प.) ने ली पैगम्बरी का पूरा-पूरा हक अदा किया, कुछ छिपाया नहीं. (आले इमरान-१५१)

इब्ने तिमिया (रह.) इस्माते है के हजरते हुशैन (रज़ि.) की शहादत पर शैतान ने दो बिदअते जारी की,

अेक तो मोहब्बते हुशैन (रज़ि.) का दावा करने वाले (राइज़ियों) के ऋरिये जिन्होने इंस टिन को मातम का टिन बना लिया,

दूसरी बिदअत हजरते अली और हुसैन (रज़ि.) से जुग्ज रजने वाले (भारजियों) के ऋरिये जिन्होने इंस टिन के लिये जुशी के बहुत से अमल गढ लिये, यहां तक के यह हदीस ली के जो शप्स योमे आशूरा को अपने अहलौ अयाल पर कुशादगी करेगा अल्लाह उस पर पुरे साल कुशादगी करेगा. (मिनहाजुस्सुन्नह)

शरीअत साज़ी अल्लाह का हक है, इर अगर में कोइ ऐसा काम दीन समज़ कर क़ु जिसका हुकम न अल्लाह ने टिया हो और न उसके रसूल (स.अ.प.) ने तो मेरा किया गया वह काम क्या कहलायेगा ?

क्या मेरा यह काम अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढना न कहलायेगा? जबकि अल्लाह करीम का इर्शाट है “ऐ इमान वालो ! अल्लाह से और उसके रसूल से आगे न बढो. (हुजुरात ०१)

क्या नबी (स.अ.प.) के दुनिया से जाने के सैकड़ों साल बाद दीन के नाम पर इजाट की गइ रस्मों पर अमल करना सवाब पाने का काम हो सकता है ?

अगर नहीं तो क्या हमें अपने आपको और अपनों को इन रस्मों को निलाने से नहीं रोकना चाहिये ?

अल्लाह तआला तो इस्माता है, ऐ इमान वालो ! अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ ! जिसका इधन इन्सान और पथर होंगे. (तहरीम ०५)

अेक और इर्शाटि बारी तआला है, नेकी और परहेजगारी के कामो में अेक-दूसरे का साथ दो और गुनाह और ज्यादती के कामों में अेक दूसरे का तआपुन न करे, (माइदा-०२)

जो लोग जुलूस के साथ अल्लाह से हिदायत के तालिब होते हैं, अल्लाह उन्हें ज़र हिदायत से नपाजता है, इंसलिये कि अल्लाह इस्माता है “जो लोग हमारी राह में मुजाहिदा (कोशिश) करेंगे, हम ज़र उन पर अपनी राहें जोल देंगे.” (अन्कबूत ५८)

हम सब जानते है कि अेक टिन हम ली न रहेंगे, क्यों कि “हर नफ्स (जान) को मोत का मजा यजना है.” (आले इमरान १८५, अम्बिया ३५, अन्कबूत ५७) (और) यह ली कि “क्यामत के टिन कोइ किसी का जोज़ नहीं उठायेगा” (अनआम १५४, इस्रा १५, इतिर १८, जुमर ०७, नजम ३८)

हजरते हुशैन (रज़ि.) और उन के साथियों के साथ जो कुछ किया गया उसकी



જવાબ દેહી હમ પર નહીં હૈ, હમૈં અપને આમાલ કી જવાબ દેહી કરના હૈ, ઇસલિએ હમૈં ઉસી કી ફિક્ક હોની ચાહિયે.

અલ્લાહ તઆલાને ઇર્શાદ ફરમાયા, “તિલ્કા ઉમ્મતુન કદ ખલત લહા મા ક સ ખત વ લકુમ મા કસબતુમ, વલા તુસ્અલૂ ન અમ્મા કાનૂ ચઅ મલૂન”

તર્જુમા : યહ એક ગિરોહ થા જો ગુજર ગયા, ઉન લોગોં ને જો કુછ કમાયા વહ ઉનકે લિયે હૈં ઓર તુમને જો કુછ કમાયા વહ તુમ્હારે લિયે હૈં, ઉનકે આમાલ કે બારે મૈં તુમસે નહીં પૂછા જાયેગા. (બકર ૧૩૪, ૧૪૧)

### હમારા મકસદે હકીકી :

અલ્લાહ કી ખુશનૂદી, ઉસકે અહકામ કી બજા આપરી ઓર મુહમ્મદ (સ.અ.વ.) કે ઉસ્વ એ હસ્ના કી પૈરવી ઓર અલ્લાહ કે હકીકી દીન કો અપની તાકત ભર ઉસકે બન્દોં તક પહુંચાના હૈ.

અખીર મૈં અલ્લાહ તઆલા સે દુઆ હૈં કિ વહ હમ સબ કો સિરાતે મુસ્તકીમ (સીધી રાહ) કો જાનને-સમઝને ઓર ઉસ પર ચલને કી તોફીક અતા ફરમાએ. હમૈં હર તરહ કે શર્ક વ બિદઆત સે બચાએ, હમૈં જબ મોત આએ તો ઇસ હાલમૈં આએ કિ હમ મુસલમાન (ફરમાબદાર) હોં.

ઇન પર્યો કો આમ કરને મૈં જો હઝરાત હમારે સાથ તઆપુન કર રહે હૈં એ અલ્લાહ ! તૂ ઉન્હેં જજાએ ખૈર અતા કર, ઓર હમારી કોશિશોં કો શર્ફ કુબૂલિયત અતા ફરમા, હમૈં જયાદા સે જયાદા આમાલે સાલેહ કરને ઓર હક બાત કી તલ્કીન કરને કી તોફીક અતા ફરમા. આમીન યા રબ્બુલ આલમીન !

“સુબ્હા ન રબ્બિ ક રબ્બિલ ઇઝઝતિ અમ્મા ચસિફૂન, વ સલામુન અલલ મુર્સલીન, વલ્હમ્દુ લિલ્લાહિ રબ્બિલ આલમીન” તર્જુમા : આપકા રબ જો બડી ઇઝઝત વાલા હૈ, પાક હૈં હર ઉસ ચીજ સે જો (મુશરક) બયાન કરતે હૈં, પૈગમ્બરોં પર સલામ હૈ. ઓર સારી તઅરીફે અલ્લાહ કે લિઅ હૈં જો સારે જહાન કા પાલનહાર હૈ (સાફ્ફાત ૧૮૦ સે ૧૮૨)

અહલે ઇલ્મ હઝરાત સે અપીલ હૈં કિ અગર કહી કમી યા ગલતી પાયે તો હમારી ઇસ્લાહ ફરમાએ. શુક્રિયા

**કુર્આન સૌના માટે :** આથી તમામ ભાઈઓને જણાવવાનું કે, વિશ્વપ્રસિદ્ધ તફ્સીર “તફ્સીર અહસનુલ બયાન” હિન્દીમાં સંસ્થાની લાયબ્રેરીમાં ઉપલબ્ધ છે. હદીયો માત્ર રૂ. ૨૦૦/- રાખેલ છે. તો આ તકનો વધુમાં વધુ ભાઈ બહેનોએ લાભ લેવા વિનંતી.

કુર્આન અને હદીષ સિવાય લેખકના અંગત વિચારોથી પ્રકાશકનું સહમત હોવું જરૂરી નથી. -પ્રમુખ

**ઈસ્લામિક ઇન્ફોર્મેશન સેન્ટર, ભુજ - મો. : ૮૪૦૧૭ ૮૬૧૭૨**

Blog : [www.iickutch.blogspot.in](http://www.iickutch.blogspot.in)